[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड में प्रकाशित किए जाने के लिए

3, उप-खंड (i)]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 20/2020- सीमा शुल्क

नई दिल्ली दिनांक 9 अप्रैल, 2020

जी.एस.आर. (ई)- वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा अध्याय के भीतर नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट विवरण के माल को छूट प्रदान करता है, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत उस पर लगाए जाने वाले पूरे सीमा शुल्क और धारा 141 के के शीर्षक, उप-शीर्षक या टैरिफ मद के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण स्वास्थ्य उपकर

क्रम सं	अध्याय या शीर्षक या उप शीर्षक या किराया मद	मद का विवरण
(1)	(2)	(३)
1	9018 या 9019	कृत्रिम श्वसन या अन्य चिकित्सीय श्वसन उपकरण (वेंटिलेटर)
2	63 या अन्य कोई अध्याय	फेस मास्क और सर्जिकल मास्क
3	62 या अन्य कोई अध्याय	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)
4	30, 38 या अन्य कोई अध्याय	कोविड-19 परीक्षण किट
५	अन्य अध्याय	क्रम संख्या 1 से 4, पर वस्तुओं के निर्माण के लिए इनपुट उपरोक्त इस शर्त के अधीन कि आयातक सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है।

2. यह अधिसूचना 30 सितंबर, 2020 तक लागू रहेगी और इसमें शामिल है।

[एफ.सं. 354/41/2020-टीआरयू

गौरव सिंह
भारत सरकार के उप सचिव